बिहार सरकार
सहकारिता विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक : 04.8.08

संख्या: 5/नि./अं.प्दा.स्था.-25/06. 4624 / भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सहकारिता विभाग के बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ – (1) यह नियमावली "बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग नियमावली–2008" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
   (3) यह तुरत प्रवृत होगी।

2. परिभाषा – इस नियमावली में जब तक कोई बात, विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो –
   (क) 'विभाग' से अभिप्रेत है सहकारिता विभाग;
   (ख) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है बिहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग;
   (ग) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है निबंधक, सहयोग समितियाँ, विहार;
   (घ) 'निबंधक' से अभिप्रेत है निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर नियुक्त/कार्यरत व्यक्ति; तथा
   (ङ) 'आयोग' से अभिप्रेत है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग।

3. संवर्ग का गठन – (1) यह संवर्ग राज्यस्तरीय होगा।
   (2) इस संवर्ग में निम्नलिखित श्रेणी के पद होंगे –

क्रमांक	पद का नाम	कोटि	वेतनमान
(i)	अंकेक्षक (सहयोग समितियाँ)	मूल कोटि	4500-7000
(ii)	वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी	प्रोन्नति का प्रथम चरण	5500-9000
(iii)	अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी	प्रोन्नति का द्वितीय चरण	6500-10500

   उपर्युक्त पदों पर इस नियमावली के प्रवृत होने के पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

   (3) पदबल।– इस संवर्ग के विभिन्न कोटि का स्वीकृत पदबल राज्य सरकार द्वारा, आवश्यकतानुसार पदों के सृजन तथा समर्पण द्वारा, उपांतरित किया जा सकेगा।

4. भर्त्ती की पद्धति – (1) संवर्ग में अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ के पद पर सीधी भर्त्ती की जायेगी।
   (2) अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ के पद पर भर्त्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक (गणित के साथ) अथवा वाणिज्य स्नातक होगी।
   (3) न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।
   (4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रील तक गणना करके विनिश्चित रिक्तियों के आधार पर 30 अप्रील तक आयोग को अधियाचना भेजी जायेगी।
   (5) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों की सीधी भर्त्ती की जा सकेगी।

Scanned with CamScanner

(ग) प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु पाठ्यक्रम एवं अर्हतांकों का विनिश्चय आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

5. परीक्ष्यमान अवधि – नियुक्ति के पश्चात परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी। उक्त अवधि में सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होने पर परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी और विस्तारित परीक्ष्यमान अवधि में भी सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर वैसे कर्मी को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

6. प्रशिक्षण – (1) संवर्ग के सदस्यों को परीक्ष्यमान अवधि में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।

(2) संवर्ग के सदस्यों के लिए समय–समय पर अल्पावधि के रिफ्रेशर की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।

7. सम्पुष्टि – संवर्ग में नियुक्त सदस्य संतोषप्रद रूप से परीक्ष्यमान अवधि एवं आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करने पर संवर्ग में सम्पुष्ट किये जा सकेंगे।

8. प्रोन्नति – (1) संवर्ग में सम्पुष्ट अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ से वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी एवं वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी से अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति वरीयता–सह–योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

9. प्रतिनियुक्ति – संवर्ग के सदस्यों को राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली सहकारी समितियों, निकाय या परियोजना में चिह्नित पदों के विरुद्ध भी प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

10. कठिनाई का निराकरण – इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण समुचित आदेश से कर सकेगी।

11. इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा और आवश्यकतानुसार वित्त/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

12. जिन विषयों या बिन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं किये गए हैं, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत नियम/अनुदेश लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विजय कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक : 5/नि./अं.पदा.स्था.–25/06.......4624......./पटना, दिनांक : 04.8.08/

प्रतिलिपि : अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

Server\E:\Doc\Notification of CS Auditors Cadre Rule 2007.doc\SK